रजिस्ट्री सं० डी० 221 REGISTERED No. D. 221

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY
भाग II—खण्ड 3—उपखण्ड (i)
PART II—Section 3—Sub-section (i)

सं० 40] नई दिल्ली, शनिवार, जनवरी 29, 1972/माघ 9, 1893
No. 40] NEW DELHI, SATURDAY, JANUARY 29, 1972[MAGHA 9, 1893

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके।
Separate paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation

CENTRAL BOARD OF EXCISE AND CUSTOMS

NOTIFICATION

CENTRAL EXCISES

New Delhi, the 29th January 1972

G.S.R. No. 62(E).—In exercise of the powers conferred by clause (b) of section 2 of the Central Excise and Salt Act, 1944 (1 of 1944) read with rule 4 of the Central Excise Rules, 1944, the Central Board of Excise and Customs hereby invests the Appellate Collector of Customs, Calcutta with all the powers of the Appellate Collector of Central Excise, Calcutta under the said rules.

[No. 16/72]

S. K. DHAR, Under Secy.

केन्द्रीय उत्पाद शुल्क और सीमा शुल्क बोर्ड

अधिसूचना

केन्द्रीय उत्पाद शुल्क

नई दिल्ली, 29 जनवरी, 1972

सा० का० नि० 62 (अ).——केन्द्रीय उत्पाद शुल्क नियम, 1944 के नियम 4 के साथ पठित केन्द्रीय उत्पाद शुल्क और नमक अधिनियम, 1944 (1944 का 1) की धारा 2 के खण्ड

(ख) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्रीय उत्पाद शुल्क और सीमा शुल्क बोर्ड, सीमा शुल्क कलक्टर (अपील) कलकत्ता में उक्त नियमों क अधीन केन्द्रीय उत्पाद शुल्क कलक्टर (अपील) कलकत्ता की सभी शक्तियां एतद्द्वारा विनिहित करता है ।

[सं० 16/72]

एस० के० धर, अवर सचिव ।

PRINTED BY THE GENERAL MANAGER, GOVERNMENT OF INDIA PRESS, MINTO ROAD, NEW DELHI AND PUBLISHED BY THE MANAGER OF PUBLICATIONS, DELHI, 1972